

आदेश

176

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापक 5268 दिनांक 13.08.13 द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के लिए खाद्यान्न का आवंटन अन्नपूर्णा लाभुकों हेतु प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को पटना ग्रामीण क्षेत्र के प्रखण्डों/नगर निकायों के अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों के लिए खाद्यान्न का उपावंटन निम्न प्रकार किया जाता है।


सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उपावंटित मात्रा का शत-प्रतिशत उठाव कराकर अन्नपूर्णा लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	प्रखण्ड/क्षेत्र का नाम	अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों की पुनरीक्षित संख्या अतिरिक्त लाभुकों को सम्मिलित करते हुए	गेहूँ 6 कि०ग्रा० एवं चावल 4 कि०ग्रा० प्रति माह प्रति परिवार की दर से आवंटन (क्विंटल में)	
			गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5
1	दानापुर नगर पं०	374	22.44	14.96
2	दानापुर प्रखण्ड	600	36.00	24.00
3	मनेर	557	33.42	22.28
4	बिहटा	624	37.44	24.96
5	नौबतपुर	498	29.88	19.92
6	धनरुआ	524	31.44	20.96
7	पुनपुन	367	22.02	14.68
8	मसौदी	770	46.20	30.80
9	फुलवारीशरीफ	272	16.32	10.88
10	सम्पतचक	167	10.02	6.68
11	दुल्हिनबाजार	331	19.86	13.24
12	विक्रम	536	32.16	21.44
13	पालीगज	636	38.16	25.44
14	बाढ़ शहर	162	9.72	6.48
15	बाढ़ प्रखण्ड	380	22.80	15.20
16	बेलघी	160	9.60	6.40
17	अथमलगोला	207	12.42	8.28
18	वख्तियारपुर	505	30.30	20.20
19	पण्डारक	254	15.24	10.16
20	मोकामा	720	43.20	28.80
21	घोषवरी	161	9.66	6.44
22	फतुर्हा	580	34.80	23.20
23	खुशारुपुर	195	11.70	7.80
24	दनियारवा	216	12.96	8.64
		9796	587.76	391.84

६/०

जिला पदाधिकारी,
पटना।

- ज्ञापक 1752 / आ०, पटना दिनांक 19.8.13
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ। जिला के वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के उनके पत्रांक 5268 दिनांक 13.08.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
पटना।